L.I.C. is now taking greater interest in financing municipal water supply and sewerage schemes and in financing housing programmes. Recently a review has been initiated, of the statutory framework itself with a view to seeing whether any changes therein are called for.

सरकारी मकानों के लिए प्रतीक्षा सूची

135. **श्री ना० कृ० शेजवलकर :**
श्री निरंजन वर्मा
श्री मान सिंह वर्मा :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री सुन्दर सिंह भंडारी :
श्री प्रेम मनोहर :
श्री लाल अडवाणी :
डा० भाई महावीर :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास और नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारी इस समय आवास आवंटन के लिये प्रतीक्षा सूची पर हैं और उनका प्रतिशत क्या है ;

(ख) उनमें से ऐसे कर्मचारी कितने कितने प्रतिशत हैं जो 5, 8 और 10 वर्ष से प्रतीक्षा सूची पर है ;

(ग) क्या उनको आवास मिलने की किसी अवधि का आश्वासन दिया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो किस रूप में ?

†[WAITING LIST FOR GOVERNMENT ACCOMMODATION

135. SHRI N. K. SHEJWALKAR:
SHRI NIRANJAN VARMA:
SHRI MAN SINGH VARMA:
SHRI J. P. YADAV:
SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI:
SHRI PREM MANOHAR:
SHRI LAL K. ADVANI:
DR. BHAI MAHAVIR:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number and percentage of Central Government employees in Delhi who are at present on the waiting list for allotment of residential accommodation;

(b) the respective number and percentage of employees out of them who have been in the waiting lists for more than 5, 8 and 10 years;

(c) whether any assurance can be given to them about the time by when they could be allotted residential accommodation; and

(d) if so, in what terms?]

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास और नगर विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख) वर्ष विशेष में वास के आवंटन के लिए आवेदनपत्र सीमित आधार पर आमंत्रित किये जाते है। टाइप V और इस से ऊपर के लिए पात्र कर्मचारियों के मामले में प्राथमिकता की तारीख तब से मानी जाती है जिस तारीख से वह एक टाइप विशेष से सम्बन्धित परिलब्धियां निरन्तर प्राप्त कर रहे हों, जैसे कि नीचे दिये गये हैं : —

टाइप V	800 रुपये	
टाइप VI	1,300 रुपये	
टाइप VII	2,250 रुपये	
टाइप VIII	उस तारीख से जिस से अधिकारी, सचिव, अतिरिक्त सचिव या उस के बराबर के दर्जे के पदपर नियुक्त किया जाता है ।	

†[] English translation.

ऐसे मामलों में आवेदन पत्र के फार्म में ऐसा कोई कालम नहीं है जिस मे अधिकारी द्वारा सेवा में आने की तारीख दिखाई जाए। टाइप V और उस से ऊपर के लिए पात्र अधिकारियों के बारे में, जिन्होने 5, 8 और 10 वर्ष से अधिक की सेवा की है और उन्हें सरकारी वास आवंटित नहीं है, की सूचना इस प्रकार उपलब्ध नहीं है। टाईप IV और इससे नीचे के लिये पात्र कर्मचारियों के मामले मे प्राथमिकता की तारीख का निश्चय करने के लिए सारी सेवा को माना जाता है। टाईप II—IV के लिए पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए आवेदन पत्र सभी मामलों में आमंत्रित नही किये गये क्योंकि सभी दी गई प्राथमिकता की तारीख के अन्तर्गत नही आते थे। टाइप I के मामले में उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने 10 साल से अधिक की सेवा की है और वे दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल में आवंटन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, 1,887 है। दिल्ली/नई दिल्ली में विभिन्न टाइपों के लिए 1969 में जिन प्राथमिकता की तारीखों तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे और उस आधार पर आवंटन के लिये प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों की संख्या, तथा प्रत्येक टाइप में ली गई प्राथमिकता की तारीखें निम्नलिखित हैं :—

टाइप	प्राथमिकता की तारीख जिस तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे	30 जून, 1970 तक ली गई तारीख	पात्र टाइप के लिये प्रतीक्षा सूची पर लोगों की संख्या
I	31-12-1958	16-5-1956	1,887
II	31-12-1955	31-12-1950	4,226
III	31-12-1948	4-3-1944	2,812
IV	31-12-1948	23-2-1942	2,036
V	31-12-1964	30-4-1960	1,114
VI	31-12-1962	5-11-1961	746
VII	31-7-1969	9-12-1959	295
VIII	31-7-1969	15-6-1966	77

दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल में कुल परितुष्टि 40 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) 1970-71, 1971-72 के वर्षों में दिल्ली मे सामान्य पूल के टाइप I से IV तक के एककों जिन के उपलब्ध होने की संभावना है, की संख्या 1,892 है। सामान्य पूल मे वास के निर्माण का कार्यक्रम निधियों की उपलब्धता तथा विकासित भूमि, आदि को दृष्टि में रखते हुए, चरणों में किया जाता है। उपलब्ध साधनों के भीतर सरकार सामान्य पूल म, अतिरिक्त रिहायशी एककों के यथासंभव, शीघ्र उपलब्ध करने के सभी प्रयत्न कर रही है। यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे सभी कर्मचारियों को आवंटन कब किया जा सकता है।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI PARIMAL GHOSH): (a) and (b) Applications for allotment of accommodation during a particular year are invited on a restricted basis. In the case of employees entitled to Type V and above, the date of priority is reckoned from the date they continuously draw emoluments relevant to a particular type as shown below:—

Type V	. Rs. 800
Type VI	. Rs. 1300
Type VII	. Rs. 2250
Type VIII	. from the date an officer is appointed as Secretary/Additional Secretary or on a post of equal status.

In such cases there is no column in the application form to show the date of an official joining service. The information in regard to officials entitled to Type V and above, who have put in more than 5, 8 and 10 years' service and have not been allotted Government accommodation is not thus available. In the case of officials entitled to Type IV and below, the entire service is taken into consideration for determining the date of priority. Applications were not invited from Government servants entitled to Type II-IV in all cases as all were not covered within the stipulated date of priority. In the case of Type I, the number of Government servants who have put in more than 10 years' service and are waiting for allotment in the general pool in Delhi|New Delhi is 1,887. The priority dates upto which applications were invited in 1969 for various types in Delhi|New Delhi and the number of persons waiting for allotment on that basis and dates of priority covered in each type are as under:—

Type	Date of priority up to which applications were invited	Date covered as on 30-6-70	Number of persons on the waitinglist for entitled type
I	31-12-1958	16-5-1956	1,887
II	31-12-1955	31-12-1950	4,226
III	31-12-1948	4-3-1944	2,812
IV	31-12-1948	23-2-1942	2,036
V	31-12-1964	30-4-1960	1,114
VI	31-12-1962	5-11-1961	746
VII	31-7-1969	9-12-1959	295
VIII	31-7-1969	15-6-1966	77

The overall percentage of satisfaction in the general pool in Delhi/New Delhi is 40.

(c) and (d) The number of units in Type I to Type IV in general pool in Delhi which are likely to come up during the years 1970-71, 1971-72 is 1,892. The construction of accommodation in the general pool is undertaken in a phased programme keeping in view the availability of funds and development land etc. Within the available resources Government is trying its best to provide additional residential units in the general pool as expeditiously as possible. It cannot be said when allotments can be made to all such employees.]

†[ ] English translation.